

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — भदरसर जिला चित्तौडगढ

केसरसिंह वगैर

| बनाम ||

कल्याणसिंह वगैर

किरम मुकदमा 128 एल.आर.ए.

नम्बर. 69 /2019 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00333 <i>जादना 15/05</i>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/5/2019	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात मौजा गन्टेडी (राजेन्द्रसिंह नगर) पटवार हल्का आक्या में स्थित की खाता संख्या 55 में अंकित आराजी नम्बर 865 रकबा 1.0800 हैक्टैयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>प्रार्थी की वहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर वहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदरसर को 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा गन्टेडी (राजेन्द्रसिंह नगर) पटवार हल्का आक्या में स्थित की खाता संख्या 55 में अंकित आराजी नम्बर 865 रकबा 1.0800 हैक्टैयर भूमि की नक्शा बन्दोवस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढा के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी भदरसर</p>	